सं. 6/1/2017-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना - निर्माण परियोजनाएं - परियोजना भत्ता प्रदान किया जाना।

सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति यह विनिश्चय करते हैं कि उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित 17.01.1975 के कार्यालय ज्ञापन सं.20011/5/73-ई.II(बी) और 29.08.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं.6(3)/2008-ई.II(बी) में आशोधन करते हुए, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को निम्नलिखित पुनरीक्षित दरों पर परियोजना भत्ते जिसे जोखिम/कठिनाई मैट्रिक्स में शामिल किया गया है, का भुगतान किया जाएगाः-

वेतन मैट्रिक्स में लेवल	कोष्ठिका का नाम	दर प्रतिमाह (रुपए में)
लेवल 9 और उससे ऊपर	आर3एच2	3,400
लेवल 8 और उससे नीचे	आर3एच2	2,700

2 पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'वेतन लेवल' शब्द से अभिप्राय वेतन मैट्रिक्स में 'लेवल' से है।

3 उन कर्मचारियों के संबंध में जो अपनी पुनरीक्षण-पूर्व वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प चुनते हैं, इन आदेशों के तहत इस भत्ते का निर्धारण, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित) नियमावली, 2016 में यथा-निर्दिष्ट निर्धारित वेतन बैंड में ग्रेड वेतन के अनुरूप होगा।

4 पुनरीक्षित वेतन संरचना में देय महंगाई भता जब बढ़कर 50% हो जाएगा, इन दरों में 25% की वृद्धि हो जाएगी।

5 इस भत्ते की मंजूरी को शामिल करने वाली अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

6 **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

7 ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" से भुगतान किया जाता है और यह व्यय "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" के संगत शीर्ष में प्रभारित किया जाएगा। सशस्त्र बलों के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमशः रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

8 जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत कर्मचारियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सहमति से जारी किए गए हैं।

(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।